



## महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

### MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्ब./2024/9217-22

दिनांक: 27.07.2024

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव  
विद्या देवी महाविद्यालय,  
पटना, बण्डा, शाहजहाँपुर।


विषय: संस्था विद्या देवी महाविद्यालय, पटना, बण्डा, शाहजहाँपुर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (चित्रकला, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी) व विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान व जन्तु विज्ञान) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 27.07.2024 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था विद्या देवी महाविद्यालय, पटना, बण्डा, शाहजहाँपुर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (चित्रकला, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी) व विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान व जन्तु विज्ञान) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम/विषय में सत्र 2024-25 से स्थायी सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों/निम्न शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षाएँ अविलम्ब संचालित हो सकें। संस्थान/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
08. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या 332/सत्तर-3-2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।

भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. वित्त अधिकारी।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
04. समन्वयक, ऑनलाइन प्रवेश/प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर सेंटर।
05. निजी सचिव, कुलपति।

कुलसचिव